

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 4388 /उ०ख०/भू०खनि०नि०/वि०निवि०परि०/2023-24,

दिनांक 20 नवम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०ला०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/भू०खनि०नि०/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 3279/USN_004/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर-4, कोसी नदी के खसरा संख्या 270 मिन, रकवा 1.224 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 66,096 टन एवं आधार मूल्य रू० 52,87,680.00 निर्धारित करते हेतु नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 (बृहस्पतिवार) को अपराह्न 12.00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

उक्त के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी०आई०एल०/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2023 को आदेश पारित किया गया कि "5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents. 6. Steps be taken within a week. 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically. 8. List the matter on 27.12.2023. 9. In the meantime, we direct that, in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction noticed dated 26.09.2023". उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू०खनि० नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू०खनि०नि०/ई०नीला० /2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 176/पी०आई०एल०/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य आज दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें मा० न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि "The Hon'ble Court, after hearing the Counsel for the parties at length has been pleased to dismiss the aforementioned Writ Petition (PIL) with the direction that the mining activity shall be carried only after obtaining the environmental clearance for the appropriate authority".

निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4192/उ०ख०/भू०खनि०नि०/समि०/2023-24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी०आई०एल०/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के उपरान्त उक्त जनहित याचिका को निरस्त (Dismissed) कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू०खनि० नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 समय अपराह्न 2.30 बजे खोले

जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 को अपराहन 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 08.11.2023 (बुधवार) के अनुसार जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर-4, कोसी नदी के खसरा संख्या 270 मिन, रकवा 1.224 है। उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 08.11.2023 (बुधवार) को खोली गयी तकनीकी निविदा में प्राप्त निविदादाताओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्री गुलशन कुमार	अभिलेख पूर्ण।
2.	श्री राजीव गोयल	अभिलेख पूर्ण।
3.	श्री बलबिन्दर सिंह	अभिलेख पूर्ण।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 18-11-2023 (शनिवार) समय अपराहन 1.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है-

क्र० सं०	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (घनराशि ₹० में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 का परिणाम (₹० में)
1	2	3	4
1.	श्री गुलशन कुमार	55,50,000.00	H1
2.	श्री राजीव गोयल	53,90,800.00	H2
3.	श्री बलबिन्दर सिंह	53,50,300.00	H3

उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ०डी०आर० के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच०-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ०डी०आर० के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री गुलशन कुमार H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली ₹० 55,50,000.00 (₹० पचपन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत ₹० 13,87,500.00 (₹० तेरह लाख सतासी हजार पांच सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य ₹० 52,87,680.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य 13,21,920.00 के सापेक्ष ₹० 13,22,000.00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 762800DP00002416, दिनांक 17.10.2023, ₹० 13,22,000.00 (₹० तेरह लाख बाईस हजार मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (₹० 13,87,500.00 -

13,22,000.00 = 65,500.00) रू0 65,500.00 (रू0 पैसठ हजार पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।


अतः H1 बोलीदाता श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री नत्था सिंह, निवासी खरमासा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 65,500.00 (रू0 पैसठ हजार पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-2 को एच-1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या: 4388 / उ0ख0 / भू0खनि0नि0 / वि0निवि0परि0 / 2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उधमसिंहनगर।
4. एच-1 बोलीदाता श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री नत्था सिंह, निवासी खरमासा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक